

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10022021-225068  
SG-DL-E-10022021-225068

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/ माघ 20, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 317
No. 52]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942	[N. C. T. D. No. 317

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति सदस्यों का सहयोजन

सं एफ.1/178/गु.चु.नि/2017/777.—अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली द्वारा सी. एस डी.जे./1287/2017 इन्दर मोहन सिंह बनाम गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय तथा अन्य के मामले में दिनांक 25 जनवरी 2021 को पारित आदेशों की पालना करते हुए, अधिसूचना सं. एफ.1/178/गु.चु.नि./2017/1189 दिनांक 11 मार्च 2017 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं, क्रमांक सं. 1 पर दर्शाए गए रंजीत कौर के नाम तथा रिहायशी पते को हटाया जाता है।

तथा दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82वां) की धारा 4 के खंड (ब) के उप-खंड (iv) के अंतर्गत, दिल्ली सिक्ख प्रबंधक समिति (सदस्यों का सहयोजन) नियम, 1974 के नियम 15 और नियम 39 के सहित पठित, प्रावधानों के अनुसरण में, इन्दर मोहन सिंह, ई-15, शाम नगर, डाकखाना तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 को दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के सहयोजन हेतु निर्वाचित होने की घोषणा की जाती है।

नरिंदर सिंह, निदेशक (गुरुद्वारा चुनाव)

**DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2021

**Co-option of Members to the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee**

**No. F.1/178/DGE/2017/777.**— In compliance of the Judgment dated 25th January, 2021 passed by ADJ, Tis Hazari Courts, Delhi in CS DJ/1287/2017 titled Inder Mohan Singh Versus Directorate of Gurdwara Elections & Ors. thereby declaring the Co-option of Ranjeet Kaur as member of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee vide Notification No. F.1/178/DGE/2017/1189 dated 11th March, 2017 null and void, subsequently, the following amendment is hereby made by omitting the name and address of RANJEET KAUR (Sl. No. 1) from Notification No. F.1/178/DGE/2017/1189 dated 11th March, 2017.

Further, INDER MOHAN SINGH, R/o E-15 Sham Nagar, P.O. Tilak Nagar, New Delhi-110018 is declared to be duly Co-opted as member of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee in pursuance of the provisions of sub-clause (iv) of clause (b) of Section 4 of the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971) read with Rule 15 and Rule 39 of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Co-option of Member) Rules, 1974.

NARINDER SINGH, Director (Gurdwara Elections)